

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)**

आप0प्रक0 क्रमांक 142 / 2017

संस्थित दिनांक 18.05.2009

फाईलिंग नंबर 5622017

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,  
 जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

// **विरुद्ध** //

**01.**शिव कुमार पिता ताराचंद, जाति गोंड, उम्र-23 वर्ष,  
 निवासी सेहदीटोला सुसवा थाना किरनापुर।

**02.**सोनू उर्फ ऐजाज पिता अब्दुल अजीज खान मुसलमान,  
 उम्र-23 वर्ष निवासी परसवाड़ा तहसील बैहर। (पूर्व से निर्णित)

**03.**खिलेश पिता भैयालाल, उम्र-21 वर्ष, जाति पवार,  
 निवासी चंदना जिला बालाघाट (फरार)

.....आरोपीगण

**::निर्णय::**

**{ दिनांक 06 / 03 / 2018 को घोषित }**

**01—** आरोपी शिवकुमार के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-379 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.03.2009 से दिनांक 18.03.2009 को रात्रि समय 09:00 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे के बीच ग्राम भीकेवाड़ा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत प्रार्थी यशवंत कुमार के खेत से वाटर पम्प एवं उसका सामान कीमती 3,000/- रुपये को उसके कब्जे से हटाकर बेईमानीपूर्वक आशय से सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी की।

**02—** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 17.09.2009 को रात्रि करीब 7:00 बजे घर आकर सो गया था। वाटर पंप कुंआ में था, जो दिनांक 18.03.2009 को 7:30 बजे अपने कुंआ खेत पर गया तो वहाँ पंप का सामान नहीं था, जिसे किसी अज्ञात चोर

चोरी कर ले गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान गवाहों के कथन लेख किये गये। जप्ती पत्रक एवं मेमोरेन्डम में पाया गया कि प्रकरण में चोरी गया सामान आरोपीगण शिवकुमार गोंड सुसवा एवं खिलेश पारधी ग्राम चंदना द्वारा घटनास्थल से चोरी किया गया, जिसे आरोपी सोनू उर्फ ऐजाज खान मुसलमान निवासी परसवाड़ा को बेच दिया गया था। प्रकरण से संबंधित मशरूका सोनू उर्फ ऐजाज खान से जप्त किया गया है। आरोपी शिवकुमार को धारा-379 भा.द.वि. के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी सोनू उर्फ ऐजाज खान को धारा-411 भा.द.वि. के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। आरोपी खिलेश पारधी की हरसंभव पतासाजी की गई, किन्तु उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। संपूर्ण विवेचना पूर्ण होने तथा विवेचना में आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 23/09 दिनांक 17.05.2009 एवं धारा-299 जा.फौ. में आरोपी खिलेश पारधी का फरारी चालान तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

**03-** अभियुक्त सोनू उर्फ ऐजाज पिता अब्दुल अजीज खान मुसलमान, उम्र-23 वर्ष निवासी परसवाड़ा तहसील बैहर के संबंध में पूर्व में निर्णय किया जा चुका है तथा अभियुक्त खिलेश पारधी फरार है।

**04-** अभियुक्त शिवकुमार ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द.प्र.सं में यह प्रतिरक्षा ली है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

**05-** प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या आरोपी शिवकुमार ने दिनांक 17.03.2009 से दिनांक 18.03.2009 को रात्रि समय 09:00 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे के बीच ग्राम भीकेवाड़ा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत प्रार्थी यशवंत कुमार के खेत

से वाटर पम्प एवं उसका सामान कीमती 3,000 / - पये को उसके कब्जे से हटाकर बेईमानीपूर्वक आशय से सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी की ?

**:: सकारण निष्कर्ष ::**

**06—** साक्षी यशवंत अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी शिवकुमार व न्यायालय में उपस्थित आरोपी सोनू उर्फ एजाज को पहचानता है। घटना दिनांक 17 मई, 2009 की है। उसके खेत के कुएं में वाटर पंप लगा था। खेत के सामने एक आदिवासी का मकान है, उसे बताया था देख-रेख करने के लिए। दिनांक 18 मई, 2009 को खेत गये तो पंप नहीं था। छानबीन किया तो पंप का चक्के वाला लीड वाला भाग मिला तो उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गये, जिसकी रिपोर्ट थान में दर्ज कराया था। पुलिस वालों ने सूचना भिजवाई कि थाने में आकर देख लो, तो उन्होंने पंप में चिन्ह लगाया था, उसी आधार पर उन्होंने वह पंप पहचान लिया था। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर आयी और छानबीन की थी तथा मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाई थी, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**07—** साक्षी यशवंत अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसने पहचान कार्यवाही में थाने में हस्ताक्षर किया था। यह स्वीकार किया है कि जिस समय वह पहचान कार्यवाही के लिए गया था, उस समय सामान रखा हुआ था, वहाँ पर आरोपी एजाज नहीं था। उसने चोरी करते किसी को नहीं देखा। यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी शिवकुमार को कभी नहीं देखा है और ना ही पहचानता है। यह अस्वीकार किया है कि उसने पड़ोसी से पूछताछ नहीं किया। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी शिवकुमार जप्ती माल की शिनाख्ती के समय वहाँ पर नहीं था तथा उसने आरोपी शिवकुमार को चोरी करते भी नहीं देखा।

**08—** साक्षी देवेन्द्र कुमार अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण को नहीं जानता। प्रार्थी यशवंत उसका भाई है। घटना करीब एक महीने पहले की है। घटना की रात्रि खेत में जहाँ मोटर पंप लगा हुआ था, आहट होने की खबर बताया था। उन्होंने सुबह जाकर देखा तो कुआ का मोटर पंप गायब था। आस-पास छानबीन किये तो पंप नहीं मिला, तब उन्होंने रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसने आरोपी एजाज एवं आरोपी शिवकुमार को चोरी करते हुए नहीं देखा।

**09—** साक्षी लक्ष्मण आमाडारे अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उससे पुलिस वालों ने अखिलेश पारधी की चल-अचल संपत्ति के संबंध में जानकारी चाही थी, तब उसने उस बाबद प्रतिवेदन दिया था कि खिलेश पारधी के नाम से कोई चल-अचल संपत्ति नहीं है। उसके पिता भैयालाल पारधी के नाम में राजस्व प्रलेखों में भूमि दर्ज है। उसका प्रतिवेदन प्र.पी.03 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**10—** साक्षी दीपसिंह अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। वह सोनी उर्फ एजाज खान को नहीं जानता। वह प्रार्थी यशवंत को जानता है। प्रार्थी ने उसे बताया था कि कुए से सामान चोरी हो गया है, जो मोटर पंप था। तलाश किये तो 200 मीटर की दूरी पर पंप के उपर का कवर मिला, जो कि सामान खोलकर ले गये थे।

**11—** भुवनसिंह अ.सा.08 ने कथन किया है वह आरोपी शिवकुमार को नहीं जानता है, उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही किसी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी शिवकुमार के

मेमोरेन्डम कथन लेख किये थे, जिसमें उसने बताया था कि चोरी किये गये वाटर पंप का पंखा वाला भाग तथा लोहे की ट्राली पेंट से वाई.एक्स. लिखा हुआ सोनू उर्फ एहजाज खान कबाड़ी को 300/- रुपये में बेचा था, चलो बरामद कराता हूँ, परन्तु मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.05 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष सोनू उर्फ एहजाज कबाड़ी से उक्त वाटर पंप का पंखा तथा लोहे की ट्राली जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.04 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपीगण शिवकुमार तथा सोनू उर्फ एहजाज खान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, परन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 के बी से बी तथा प्र.पी.07 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिये न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह आरोपी शिवकुमार को नहीं जानता और ना ही उसने उसे कभी देखा है तथा पुलिस ने थाने में काम करने के दौरान उससे उक्त कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे।

**12—** सुरेन्द्र अ.सा.09 ने कथन किया है कि वह आरोपी शिवकुमार को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब आठ वर्ष पूर्व ग्राम भीकेवाड़ा की है। घटना के समय उसके घर के पास के यशवंत के खेत के कुएं में लगा वाटर पंप रात में चोरी हो गया था। उसे सुबह जानकारी लगी, फिर वह यशवंत के खेत जाकर देखा तो कुएं में लगा वाटर पंप गायब था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पंप किसने चुराया उसे जानकारी नहीं है तथा पुलिस ने उसे उसके कथन पढ़कर नहीं सुनाये थे।

**13—** साक्षी निलकंठ अ.सा.07 ने कथन किया है कि वह आरोपी शिवकुमार को जानता है। घटना वर्ष 2009 की है। यशवंत कुसले के खेत में लगा मोटर पंप चोरी हो गया था। चोरी की रिपोर्ट उसने थाना परसवाड़ा में यशवंत के साथ जाकर दर्ज कराई थी। पुलिस ने थाने में आरोपी शिवकुमार



को गिरफ्तार करके लाये थे और उससे चोरी के संबंध में उनके समक्ष पूछताछ की थी, जिसमें आरोपी ने स्वीकार कर बताया था कि उसने उक्त मोटर पंप के पंखा वाले भाग ट्रॉली सहित चोरी कर कबाड़ी वाले सोनू उर्फ एजाज खान को बेच दिया था। पुलिस ने उक्त सामान की जप्ती की थी। आरोपी ने स्वीकार किया था कि उसने उक्त सामान 700/-रुपये में बेचा था। उसके समक्ष दिया गया मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.05 है, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी एजाज खान को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 के ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**14—** साक्षी निलकंठ अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि घटना की तारीख उसे याद नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि चोरी होते उसने नहीं देखा, उसे थाने में बुलाया गया था, उसके सामने एजाज खान ने सामान खरीदना बोला था, चोरी का सामान जब एजाज खान के यहाँ से जप्त किया गया, उस समय वहाँ पर नहीं था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह पुलिस के बताये अनुसार बता रहा है तथा आरोपी शिवकुमार से ही उसके समक्ष पूछताछ हुई आरोपी एजाज से नहीं। साक्षी के अनुसार दोनों से पूछताछ हुई। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्र.पी.07 पर उसने हस्ताक्षर थाने में किया था, उसने आरोपी एजाज को बेचते हुए नहीं देखा, एजाज के घर पर कोई सामान उसके समक्ष बरामद नहीं हुआ। साक्षी के अनुसार थाने में हुआ था। यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी एजाज को झूठा फंसाने के लिए झूठे कथन कर रहा है।

**15—** साक्षी निलकंठ अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि वह लोग थाने में रिपोर्ट करने सिर्फ दो लोग गये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को चोरी करते नहीं देखा, फरियादी यशवंत कुमार कुसले के द्वारा आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं

कराई गई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि रिपोर्ट करने की दिनांक उसे याद नहीं है। साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि जब वह थाने गये थे, तब आरोपी पूर्व से ही थाने पर उपस्थित था, चोरी किया गया पंप सोनू उर्फ एजाज खान के यहाँ से पुलिस ने लाई थी, पुलिस ने लिखा-पढ़ी करने के बाद में उससे मेमोरेन्डम प्र.पी.05 पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसने कार्यवाही होने के बाद पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उसे जानकारी नहीं है कि मेमोरेन्डम की कार्यवाही के समय भुवनसिंह ने हस्ताक्षर किया था, उसे मालूम नहीं और ना ही वह साक्षी को जानता है।

**16—** साक्षी निलकंठ अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मेमोरेन्डम के कथन आरोपी ने उसके सामने दिये थे कि वाटर पंप का आधा भाग चोरी कर 700/- रुपये में कबाड़ी ऐजाज खान को बेचा है। आरोपी ने अपने मेमोरेन्डम कथन में यह नहीं बताया था कि 700/- रुपये में से कितने रुपये उसे मिले हैं और कितने रुपये उसे प्राप्त करना है। प्रदर्श पी. 05 में किसी अन्य गवाह के हस्ताक्षर थे, लेकिन वह उसे नहीं जानता। वह इस बारे में नहीं बता सकता कि यदि आरोपी को थाने पर पूर्व से पुलिस ने डराई-धमकाई हो।

**17—** साक्षी निलकंठ अ.सा.07 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि पुलिस के डर के कारण आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया था और मेमोरेन्डम कथन दिया था। आरोपी ने सुबह लगभग 9-10 बजे अपने बयान दिया था तथा मेमोरेन्डम की कार्यवाही भी सुबह 9-10 बजे हुई थी। यह स्वीकार किया है कि उक्त कार्यवाही बनोटे विवेचक ने की थी। वह नहीं बता सकता कि उक्त मेमोरेन्डम की कार्यवाही का समय कितना दर्शाया गया है। उसने उक्त दस्तावेज प्र.पी.05 बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिये थे। यह स्वीकार किया है कि वह पढ़ा-लिखा व्यक्ति है और किसी भी दस्तावेज में बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए।

**18—** साक्षी कप्तानसिंग अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह दिनांक 17.05.2009 को पुलिस थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा अपराध क्रमांक 16/09 की जांच उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.08 तैयार किया गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा फरार आरोपी खिलेश वल्द भैयालाल पारधी का फरारी पंचनामा दिनांक 03.05.2009 एवं दिनांक 15.05.2009 को तैयार किया था, जो क्रमशः प्र.पी.09 एवं 10 हैं, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**19—** साक्षी शारदा प्रसाद अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह थाना परसवाड़ा में पदस्थ था। दिनांक 10.03.2009 को एफ.आई.आर. अपराध क्रमांक 16/09 धारा-379 भा.द.वि. की डायरी थाना प्रभारी एस0के0 दुबे द्वारा उसे दी गई, तब उसने घटनास्थल का नक्शा बनाया, जो कि प्र.पी.02 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा देवेन्द्र कुथरे, दीपसिंग उइके एवं खन्नू उर्फ सुरेन्द्र का कथन लिया गया था तथा जप्ती पत्रक उसके द्वारा तैयार किया गया था तथा मेमोरेन्डम भी उसके द्वारा तैयार किया गया था। जप्ती पत्रक प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्ती पत्र उसने गवाहों के समक्ष तैयार किया है, मेमोरेन्डम प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, मेमोरेन्डम में साक्षी भुवनलाल एवं निलकंठ के समक्ष आरोपी शिवकुमार से पूछताछ की गई थी। विवेचना के दौरान उसने प्रार्थी यशवंत कुमार, देवेन्द्र कुमार, दीपसिंह, खन्नू उर्फ सुरेन्द्र के कथन लिया था, जिसमें अपने मन से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था। आरोपीगण को प्र.पी.06 एवं 07 के अनुसार गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं।

**20—** साक्षी शारदा प्रसाद अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मौका-नक्शा में दर्शित घटनास्थल खुला स्थान है, उसके चारों ओर खुला ऐरिया है। यह स्वीकार किया है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ आ-जा सकता



है, उसने मौका-नक्शा प्रार्थी यशवंत के बताये अनुसार तैयार किया है। यह अस्वीकार किया है कि उसने मौका-नक्शा थाने में बैठ कर ही बनाया था। यह स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.04 में जप्ती का स्थान नहीं लिखा हुआ है। मात्र सोनू उर्फ एजाज कबाड़ी परसवाड़ा का लिखा हुआ है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जप्ती पत्र उसने थाने में बैठ कर तैयार किया है और वहाँ पर साक्षी भवन और निलकंठ के हस्ताक्षर लिया था, आरोपी के खिलाफ उसने झूठा जप्ती पत्रक तैयार किया था तथा उसने साक्षियों के कथन झूठे लिये थे।

**21—** प्रकरण में मेमोरेन्डम तथा जप्ती का एक ही समय 17/15 बजे दर्शाया गया है तथा विवेचक शारदा प्रसाद अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.04 में जप्ती स्थान का लेख नहीं किया है। मेमोरेन्डम तथा जप्ती के दोनों साक्षियों ने आरोपी के पास से जप्ती होने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। प्रकरण के परिवादी यशवंत अ.सा. 01 ने भी थाने में चोरी गये पंप को देखना व्यक्त किया है। आरोपी को चोरी करते किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है तथा अन्य फरार आरोपी खिलेश पारधी के संबंध में प्रकरण में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन की साक्ष्य आरोपी एजाज से चोरी का माल बरामद करने के संबंध में अपुष्ट है तथा प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं है। ऐसी स्थिति में यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी यशवंत कुमार के खेत से वाटर पम्प एवं उसका सामान कीमती 3,000/- रुपये को उसके कब्जे से हटाकर बेईमानीपूर्वक आशय से संप्रति अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से ले जाकर चोरी की। अतः अभियुक्त शिवकुमार को भा.दं0सं0 की धारा-379 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**22—** अभियुक्त शिवकुमार के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

23— प्रकरण में आरोपी खिलेश पारधी फरार होने से जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण नहीं किया जा रहा है।

24— अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान दिनांक 21.03.2009 से दिनांक 29.09.2009 तक तथा दिनांक 17.03.2017 से दिनांक 03.04.2017 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हैं, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही /—  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु  
विविध उपयोग